

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

धूमनात
श्री १५७१

पेश है। वन्द्योत्त वादी व वादी एवं
पतिवादी संभारुपास-पत, परन्तु उपारुपास
व, हर-साशा करमे से सना विषय।

वाद् पत्र के लया इरन-पन्ना है वि
ग्राम ओज्जाडा मे पतिवादी संभारुपास
पिता उदा के लया अहीर निवास
ओज्जाडा के खानेदारी वीर आराजी
नं० १०३७ शवावा लवादी ० ६० के लया
आमे रिपत थी रिजस मे से रिजस
लिखित पडोसो के मध्य रिपत ०२
विरवा शवावा-सुभारुपास वादी ने पतिवादी
संरुपा ०/ गोपी पिता उदा अहीर से
रिजस रिजस दिनांक २६.५.११ का
व्य वार अपने सुभाषण मे पत्र
विषय थी रिजस ०६ वाद् वादी का
वन्द्योत्त ०६ वल नम्बर १०३७/१

शवावा २ विरवा के रूप से राजर-वन्द्योत्त
मे दर्ज हो गया। और राजर-वन्द्योत्त
मे भी दर्ज वार दिनांक ११.५.२०१७ का
पतिवादीगण दिनांक ११.५.२०१७ का
सुभारुपास वीर एवं आराजी नम्बर
पर जबरन जीवे शुद्धवाने पर आम्दा
है एवं मीने पर पतिवादीगणों के
कडी मुसाबल से रोवा परन्तु पति-
वादी आम्दा वार वाम दिनांक ११
है वि एम सुभारुपास अलुपास

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

मे खूब खूब देगे / एसा रिपॉर्ट
मे पातवादी गणों को रूपाइ लिखूदा
मे पाणंद विधा जावे को वादी को
असि पर अबरनो जव को वरनी
पुकारा को व्यक्त जहो को वरनी
से जहो वरपा जावे /

हुता: वाद पत्र मे परतुत
परतावे जो को अवलोकन / कथ
गण /

उद्देश

को वादी को वाद पत्र रूवीकार
पुकारा जाकर तहसीलदार को
जल को गदये जाते है विद्य वादी
को आराजो नोम्बर 1037/1 2000
02 विरुदा ग्राम उपाडा को
आराजो को प्रतिवादी गण विरुदा
पुकारा को उपात्तुम 1 नोम्बर
व नो अल्प वाकतरेन करपगे /
पातवादी गण को रूपाइ लिखूदा
अ पाणंद विधा जाता है दिखी
जाये है

दिनांक 14.6.18 को पत्र को उपाडा
पर मेरे अतास सुनाया जाण /
पत्रावली दिखल सुमा हा को
नम्बर से वास है /

मूल बाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़

कोर्ट ऑफ़ ओरिजिनल

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

उनवान

- ⑦ धूलानुप, धूलालाल पिताउदा अहिर ~~सि~~ ~~खिलपुरा~~
वनाम वादी
- 1- श्री गोपी पिताउदा अहिर सि ओरिजिनल
 - 2- नारायण पिता गोपी अहिर —
 - 3- श्रीमती नारायणी w/o नारायण अहिर —
 - 4- " ज्ञानी w/o ओपी —
- प्रतिवादीगा

दावा बाबत 188-92 (का) R.T.A

मुकदमा नम्बर :- 16.17


निर्णय दिनांक :- 14.6.18

वादी की ओर से डप. की व प्रतिवादी की ओर से डप. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.6.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

राहशीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वादी को आराजी नम्बर 1037/1 शकला 02 किरवा ग्राम ओरिजिनल को आराजी को प्रतिवादीगा किरनी प्रवार का अंतवमण जड़ी कोरेगे व न अन्य व्यक्ति से वारावे प्रतिवादीगा को स्पार्ड निवेदाडा से पाबंद विप्रा जाता है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.6.13 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ